यूनिवर्सिटी में नहीं गये और न इस के लिए उन्होंने समय लगाया । अगर वे वहां गये होते तो सही रूप में क्या हो रहा । यह उन्हें मालूम हो जाता। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना समय अभी और लगेगा इस चुकन्दर से चीनी बनाने में और इस की जांच पड़ताल पर, क्योंकि मुद्दत से यह बात कही जा रही है और श्रीमन्, मैं देख आया हूं और मैं उस विश्व-विद्यालय से संबंधित रहा हूं । मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां क्या हो रहा है और लार्ज स्केल पर इस के प्रोडक्शन की कोई बात हो रही है या नहीं यह मैं जानना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, you please answer.

SHRIANNASAHEBSHINDE : 1 can only inform the hon. Member with all humility that I myself had been to Pant Nagar, and even before replying to this question we have got the necessary material from Pant Nagar. I seek the hon. Member's co-operation and request him not to misunderstand on every matter.

SHR1A.G. KULKARNI : May I know from the Minister whether in the present circumstances a long-term planning on better land use as well as conservation of water are more important for any production pattern to be fixed and, in view of that, it is only a pious hope in the Ministry of Agriculture that beet will be taken up ? The hon. Minister has rightly pointed out tint a sujar factory which is crushing b;et has got to depsnd on a different technology where fuel is also not going to be available. Then, will commensurate physical profits be given to the growers as well as the crushers ? Otherwise this hope will only remain a hope for another 15 years or so and nothing will come forth. 1 want a categorical reply from the Minister as to what he proposes to do.

SHRI ANNASAHEB SHINDE: As far as water requirement is concerned, for beet production also water requirement is equally heavy. So, there water economy is not likely to be advantageous. On the other aspects, as I have already indicated, there are some encouraging signs but still there are many areas in sugar production from beet on which we will have to come to definite conclusions. Still, the data is not very positive ; we have to wait for some time.

शिक्षा के लिये स्वतंत्र व्यवस्था

*182. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** :†
श्री पीताम्बर दास :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री लाल अडवाणी :
श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :
श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोदय नेता आचार्य विनोबा भावे ने यह सुझाव दिया है कि न्याय-पालिका के समान शिक्षा के लिये भी एक स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गई है ?

^[INDEPENDENT SET UP FOR EDUCATION

♦182. SHRI JAGD1SH PRASAD MATHUR :
SHRI PITAMBER DAS :
SHRI J. P. YADAV :
SHRI LAL K. ADVANI :
SHRI O. P. TYAGI :
SHRI V. K. SAKHLECHA:

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Prasad Mathur.

J[ ] English translation.

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to I state :

(a) Whether it is a fact that the Sarvodaya Leader Acharya Vinoba Bhave has suggested th.it Uijre should be an independent setup for education like that of judiciary; and

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard and what action has been taken in pursuance thereof ?]

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE ' (PROF. S. NURAL HASAN): (a) According to press reports Acharya Vinoba Bhave, while addressing the delegates to the All India National Education Conference, who had assembled at Paramdham Ashram, Paunar, to hear his views on education, said that education should be made independent like judiciary.

(b) Government respects the academic freedom of teachers, including the right to speak and write about national and international issues. But this is not incompatible with the duty of the Slate to provide facilities for education, maintain its quality and to take steps to promote equality of educational opportunity and the welfare of the weaker sections of the community or to develop education in a manner which will contribute to national development.

†[**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : (क) समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, आचार्य विनोबा भावे ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मुख, भाषण करते हुए, जो उनके विचार सुनने के लिए परमधाम आश्रम, पौनर में एकत्र हुए थे, यह कहा था कि न्यायपालिका के समान ही शिक्षा को भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए।

†[ ] Hindi Translation.

(ख) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर बोलने और लिखने के अधिकार सहित अध्यापकों की शैक्षिक स्वतंत्रता का सरकार सम्मान करती है। किन्तु यह बात शिक्षा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने उसकी किस्म बनाए रखने तथा शैक्षिक अवसरों में समानता को बढ़ावा देने तथा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाने अथवा शिक्षा का इस तरीके से विकास करना जिससे वह राष्ट्रीय विकास में सहायक हो सके, के राज्य के कर्तव्य से असंगत न होनी चाहिए।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, इसमें मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह सवाल देखें, यह हिन्दी में किया गया है और मंत्री महोदय हिन्दी बहुत अच्छी जानते हैं और ये जवाब दे रहे हैं अंग्रेजी में । अगर उत्तर प्रदेश के मंत्री ऐसा करेंगे तो औरों से क्या आशा की जा सकती है। आप श्रीमन् इतने विद्वान हैं, आप कैसे राय देते हैं अंग्रेजी में बोलने की।

श्री सभापति : राय देंगे, आप बैठ जाइए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं समझता हूं मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात होगी कि वर्तमान शिक्षा पद्धति की जो व्यवस्था है, शिक्षा देने की, कुछ स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के हाथ में कुछ है, कुछ स्थानों में प्रान्तीय सरकार के हाथ में कुछ है, कुछ स्थानों में उससे भी ज्यादा नीचे स्तर पर जाकर हमने डिसेन्ट्रलाइजेशन किया, पंचायत समिति, पंचायत लेवल पर, और हर स्थान में शिक्षा संचालन का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, और इस कारण से हर स्तर के ऊपर क्या इस प्रकार का अनुभव आया है, इस प्रकार की शिकायत हुई है चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सवाल हो, चाहे किसी गांव का सवाल हो, कि पंच से लेकर प्रधान मंत्री तक शिक्षा के बारे में जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हस्तक्षेप करते हैं और शिक्षाविदों का उसमें हाथ न होकर उन दोनों पक्षों का उसमें हस्तक्षेप रहता है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जनाबेवाला, यह एक बहुत जेनरल किस्म का ध्यान माननीय सदस्य

ने दिया। जो भी किसी यूनिवर्सिटी का मामला हो या स्कूलों का मामला हो, हर यूनिवर्सिटी के लॉज के मुताबिक उसका इंतजाम होता है। उसी तरह से स्कूलों के सिलसिले में लॉज बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं और उनके तहत इंतजाम होता है और अगर किसी जगह पर किसी पटिकुलर कानून के खिलाफ किसी ने दखलअंदाजी की है और अगर उस मामले का केन्द्रीय सरकार से संबंध है, तो मुझे अगर बताया जाएगा, तो मैं जरूर देखूंगा उसमें हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वरना यह कहना कि किसी तरह का हस्तक्षेप होता है इस बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं और खास तौर पर जो प्रधान मंत्री का नाम लिया है, इसके लिए मैं खुद गवाही दे सकता हूं मेरे इल्म में कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें प्रधान मंत्री ने इन्टरफेयर किया हो।

डा० भाई महावीर : क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामले में नहीं किया?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इसी संबंध में एक दूसरा सवाल शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से करना चाहता हूं। आपने विभिन्न समय पर विभिन्न कमीशन नियुक्त किए हैं लेकिन फिर भी इस व्यवस्था के नाते से एकरूपता नहीं आई और मुख्य रूप से जो शिक्षा प्रदान करने वाले हैं उनके संबंध में कोई सम्माननीय स्थिति बनाने की दृष्टि से हमारा विभाग असफल रहा है। अगर इन्जीनियरों ने 4 दिन स्ट्राइक कर दी तो सारी गवर्मेंट की मशीनरी उससे हिल जाती है, उनसे समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगर शिक्षक बहुत जबर्दस्त आंदोलन अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर करें और अगर सरकार द्वारा निर्धारित बातें जो तय कर दी गई हैं उनको लेकर भी शिक्षक आंदोलन करें—मैं केवल हरियाणा का उदाहरण नहीं देना चाहता सारे देश भर में भी अगर आपके शिक्षक असंतुष्ट रहें—तो क्या सरकार की मान्यता है कि हमारे छात्रों को सही प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है?

श्री सभापति : यह आप सवाल पूछ रहे हैं क्यों? आप सवाल करिए...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तो क्या आपके पास सारी शिक्षा व्यवस्था को रीआर्गेनाइज करने की कोई योजना है?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हुजूर वाला, मैं जिस कुर्सी में इस वक्त यहां पर आपके सामने हाजिर हूं, इस हाउस में मैं नहीं आ सकता था अगर मैं उस को एक्सेप्ट करते वक्त संविधान की शपथ ग्रहण न करता। संविधान में तो साफ लिखा है कि शिक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इसमें सिवाय इसके कि हम यह कोशिश करें कि तमाम राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलायें और उसमें एक यूनीफार्म पालिसी इवाल्व करें। इस मामले में केन्द्रीय सरकार का कोई दखल नहीं हो सकता है। अब इस सिलसिले में, इस सदन ने नेशनल पालिसी रिजोल्यूशन आफ एजूकेशन मंजूर किया है। 1968 में और इस चीज को सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड फार एजूकेशन ने भी मंजूर किया है। अभी पिछले सितम्बर में इस बोर्ड की फिर बैठक हुई थी और बहुत सी बातों के ऊपर यह तय किया गया कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें एक यूनीफार्म पालिसी पर चलेंगी। हमारी और मेरी मंत्रालय की यह कोशिश है कि कि जो बात सब लोग मंजूर करें उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की जाय और और इस चीज में दखल देने का मेरा ख्याल नहीं है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह अनुभव करते हैं कि देश के वातावरण में जातीयता, प्रान्तीयता, संकीर्णता, साम्प्रदायिकता का बहुत बड़ा दूषित वातावरण इस समय देश में पनप रहा है और हर एक प्रान्त की शिक्षा संस्थाओं में ऐसा वातावरण प्रवेश कर चुका है। आज गवर्नमेंट के जो स्कूल और कालेज हैं, उनमें पढ़ाई का स्तर बिल्कुल निम्न हो गया है और इसलिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में भेजने लगे हैं। आपने देश में सब लोगों को समान शिक्षा देने की बात कही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सब लोगों को एक सांस्कृतिक भावना,

एक देशभक्ति की भावना की शिक्षा दी जा सके, तो क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली को उसका स्वतंत्र स्वरूप रखते हुए उसमें कोई परिवर्तन करने का विचार है या नहीं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उनकी भावना से सहमत हूं कि किसी तरह से भी कोई ऐसा एजूकेशन इंस्टीटूशन नहीं होना चाहिये जिसमें एक हिन्दुस्तानी की तरफ से तालीम के जरिये दूसरे हिन्दुस्तानी के खिलाफ नफरत पैदा की जाय या किसी तरह से नफरत का जजबा पैदा किया जाये ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं तो जातीयता और प्रान्तीयता की बात कर रहा हूं ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं यही कह रहा हूं किसी हिन्दुस्तानी के खिलाफ किसी दूसरे हिन्दुस्तानी की तालीम में नफरत का जजबा फैलाने की बात न हो और जो इस तरह की कोशिश करता है, तो यह निहायत अफसोस की बात है और उसका मुकाबिला करना चाहिये । लेकिन इस सिलसिले में जो नीति है और एजूकेशन कमिशन ने जो सिफारिशें की हैं, उन पर सेन्ट्रल ऐडवाइजरी कमेटी ने बराबर विचार किया है । यह एक मानी हुई नीति है कि इस तरह की बातों के खिलाफ हम सब को मिलकर कोशिश करनी चाहिये । मुझे यकीन है कि राज्य सरकारें जहां कहीं भी एजूकेशन सिस्टम में इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की भावना है, उनके खिलाफ अपने पूरे आरगनाइजेशन सैट अप का इस्तेमाल करेंगी ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैंने सवाल पूछा था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सरकार का कोई परिवर्तन करने का विचार है या नहीं ? यदि है, तो वह क्या है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हुजूर वाला इस बारे में सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने कतई कुछ फैसला किया है और उसकी रिपोर्ट एवेलेबिल है। माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को देख सकते हैं । हमारी यह कोशिश है कि पंचवर्षीय योजना में उस फैसले के मुताबिक अमल दरामद कराया जाय ।

SHRI K. P. SUBRAMANfA MENON : Sir, in view of the fact that education is a powerful instrument for social transformation and has to be used as such and in view of the fact that the functions of the judiciary are to maintain *status quo* and interpret the laws passed by the Parliament, does the Government not consider the suggestion that the execution of education should be left to an authority independent of Parliament and the people, to be a reactionary suggestion and that such suggestion would not be entertained by the Governemnt at all in future also ?

PROF. S, NURUL HASAN : In my principal answer, I have already stated abou* the responsibility of the State and this is not a question of the individual opinion of my Ministry only. It has the approval in the form of the National Policy Resolution of the Parliament. Then there are certain compulsions on the State which are given in the Directive Principles of the State policy and, therefore, it is quite right that the State has to play a role. The State cannot say that we have no role to play. The only limited point I was submitting is that the State in this case means a State Government primarily. Although we can help in bringing them together, I do not wish to give the impression to any one that the Government of India in the Ministry of Education has any intention of issuing directives or orders to State Governments. We want to work together with them. We are confident that they share our feelings and sentiments and it is a question of evolving a common pattern and uniform values as for as possible. In this I have always found that the State Governments are co-operative.

SHRI SHYAM LAL GUPTA : There j is so much conirol on primary institutions 1 that they cannot function independently | although it is seen that privately controlled institutions impart better education. Will the Education Minister think of removing the unnecessary interference in the working of these institutions ? It is the responsibility of the Central to see that there is uniformity of syllabi and that standards are maintained throughout the country.

PROF. S. NURUL HASAN : It is a matter of opinion. I do not think there is any unncessary interference and j I do not subscribe to that view at all.

DR. R. K. CHAKRABARTI : Like the Judicial Service and Administrative Service, is the Government thinking of setting up an Indian Educational Service, so that it will help create mobility help in the exchange of ideas and curb regionalism '.'

PROF. S. NURUL HASAN : There is no such proposal under consideration.

श्री भइया राम मुण्डा : सभापति महोदय, मैं बिहार से आया हूं । मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वहां आदिवासियों के बीच रोमन कैथोलिक बहुत स्कूल चलाता है और उन स्कूलों में...

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिए ।

श्री भइया राम मुण्डा : उन स्कूलों में काम करने वाले फादर मदर ब्रदर तथा सिस्टर्स होते हैं और उनकी अलग पोशाक होती है और वे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं । ऐसे जो शिक्षक हैं उनको सरकार की ओर से तलब दी जाती है । क्या ऐसे लोगों को सरकार अपने फंड से वेतन देना वांछनीय समझती है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : जनाबे वाला, संविधान की धारा 30(1) के मुताबिक हर माइनारिटी की चाहे वह रिलीजन के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, एजुकेशनल इंस्टीटयूशन कायम करने का मुकम्मिल अधिकार है और इसी धारा की उपधारा (2) के मुताबिक यह राज्य का फर्ज है कि जब वह ग्रांट दे तो उसमें इस बिना पर किसी इम्तियाज को न करे कि यह संस्था माइनारिटी ने बनाई है । यह पोजीशन बिलकुल क्लियर है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : सभापति महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मंत्री जी यह कहकर संविधान की आड़ में छिप रहे हैं कि संविधान में माइनारिटी को भी अधिकार है स्कूल कायम करने का और यह भी अधिकार है कि उनको ग्रांट दी जाए, मगर क्या माइनारिटी को यह अधिकार है कि वह किसी का धर्म परिवर्तन करे ?

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। This is no point of order please. I rule it out.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि संविधान की धारा के अनुसार सैक्यूलर स्टेट में किसी भी शिक्षा संस्था को अपने धर्म का शिक्षण देने का अधिकार नहीं है ।

MR. CHAIRMAN : This is no point of order. A point of order must relate to the procedure in the House.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपने कंस्टीटूशन के खिलाफ जवाब दिया है ।

श्री भइया राम मुण्डा : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

That does not arise out of this. **जवाब हो गया ।**

श्री सभापति : डा० भाई महावीर, आप बैठ जाइये ।

DR. BHAI MAHAVIR : I only want to submit that the question related to conversion. But the answer has not touched that.

डा० भाई महावीर : वह पूछ रहे हैं कि कनवर्शन करवाने के लिए सरकार की तरफ से उनको वेतन मिले, क्या यह उचित है ?

श्री सभापति : श्रीमती सीतादेवी, आप पूछिये

श्रीमती सीता देवी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा है कि हर एक माइनारिटी को संविधान के मुताबिक अधिकार है...

श्री सभापति : आप का जो सवाल है उसके ऊपर पूछिये ।

श्रीमती सीता देवी : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहती हूं कि जो सांप्रदायिक शिक्षण संस्थायें इस प्रकार की शिक्षा देती हैं जो कि बच्चों में ऐंटी नेशनल स्पिरिट पैदा करती हैं....

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That does not arise out of this I rule it out of order.

डा० भाई महावीर : श्रीमन, मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री से लेकर छोटे से छोटे शिक्षा अधिकारी तक यह बहुत बार कहा गया है कि हमारी शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से हम यह सुन रहे हैं, तो वह दोष क्या है जिसकी तरफ संकेत करते हुए शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण कहा गया है ? उसको कौन दूर करेगा और कब दूर करेगा ? क्या यह दोष भी वह ध्यान में रखते हैं कि आज का शिक्षक अपने आपको सबसे उपेक्षित महसूस करता है ? जैसा मेरे साथी कह रहे थे कि इंजीनियर चार दिन की हड़ताल करें तो सरकार हिल जाती है और शिक्षक हजारों की संख्या में पकड़े जाते हैं ...

MR. CHAIRMAN : That does not arise out of this, Dr. Bhai Mahavir.

डा० भाई महावीर : मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा-पद्धति दोषपूर्ण है यह बात बार-बार कही जा चुकी है । तो क्या यह दोष सरकार के ध्यान में है कि आज का शिक्षक मोस्ट नेगलेक्टेड अपने आप को महसूस करता है और उसका सबूत यह है कि हजारों शिक्षक रोज जेल जायें तो भी सरकार टस से मस नहीं होती।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मान्यवर, शिक्षा-पद्धति में क्या-क्या खराबियां हैं इसका जवाब देने में एक घंटा से ज्यादा निकल जाएगा अगर कोई आदमी देने की कोशिश करे लेकिन सरकार की जो नीति है और वह नेशनल पालिसी में लिखी हुई है। उसके अलावा सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने अपनी पालिसी बनाई है और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हो सके, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके ऊपर अमल दरामद करा दिया जाए ।

जहां तक टीचर्स का सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो-चार जुमले पढ़ दूं नेशनल पालिसी से जिसको पार्लियामेंट ने भी मंजूर किया है :

"Of all ihe factors which determine the quality of education and its contribution to nationrl development the teacher is undoubtedly the most important. It is on his personal qualities and character, his educational qualifications and professional competence that the success of all educational endeavour must ultimately depend. Teachers must, therefore, be accorded an honoured place in society"

यह पालिसी हमारी सरकार की भी है और पार्लियामेंट भी उसमें शरीक है । यह पालिसी हम बिल्कुल वाजेह कर चुके हैं । इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है ।

डा० भाई महावीर : मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं आया ।

श्री सभापति : आ गया आप का जवाब ।

डा० भाई महावीर : मैंने कहा कि यह जो दोष है इसे कौन दूर करेगा ।

श्री सभापति : सारे डिटेल्स में वे जा नहीं सकते ।

डा० भाई महावीर : सवाल यह है कि खाली इसमें लिखकर के क्या सरकार समझती है कि काम हो गया ।